जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना

जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, ऊना, हिमाचल प्रदेश

त्यौहारों के समय पर दिशा-निर्देश

संख्या 322 - 350 डी.आर.ओ/रिलीफ-डीडीएमए   दिनांक 25-09-2021

जिला ऊना में कोविड-19 मामलों की स्थिति और कोविड-19 की तीसरी लहर के आगमन की चेतावनी को देखते हुए तथा मामलों में वृद्धि की दर को रोकने के लिए जिला में आम जनता एवं सभी प्रकार के संस्थानों से आवाहन किया जाता है कि आने वाले दिनों में त्यौहारों के अवसर पर सभी सार्वजानिक स्थानों पर भीड़ एकत्रित न करें। सभी सार्वजानिक स्थानों पर मास्क, सामाजिक दूरी, हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 उचित व्यवहार सम्बंधित शर्तों का सभी द्वारा अनुपालन किया जाए। इस सम्बन्ध में त्यौहारों के अवसर के दृष्टिगत कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु निम्न दिशा-निर्देश दिए जाते हैं-:

धार्मिक स्थलों एवं सभाओं के सम्बन्ध में

1. सभी धार्मिक स्थान केवल दर्शन के लिए ही खुल सकेंगे। कीर्तन, भजन, जागरण/जगराता तथा लंगर/ भंडारे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगें।

2. संक्रमण की संभावना को देखते हुए सभी त्यौहार विशेष से जुड़े आयोजन खुले स्थान/मैदान में उसकी कुल क्षमता के 50% की अधिकतम सीमा के साथ ही किए जाएँ। ऐसे सभी स्थानों पर फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा और इसकी जिम्मेदारी आयोजक पर होगी।

3. इन सभी नियमों की अनुपालना के लिए उचित व्यवस्था हेतु धार्मिक स्थानों के प्रबंधक/ प्रबंधन कमेटी जिम्मेवार होंगे। अतः इन शर्तों की अनुपालना के लिए आप अपने स्तर पर सेवादारों इत्यादि की व्यवस्था करें।

दुकानों/ बाज़ारों के सम्बन्ध में

1. "NO MASK NO SERVICE" के नियम का सभी दुकानदारों / व्यापार मंडलों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना वांछित है।

2. दुकानों /बाजारों में आने वाले ग्राहकों/ व्यक्तियों के सैनेटाईजेशन की व्यवस्था दुकानदार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी और फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अनिवार्य होगा।

3. दुकानदारों / व्यापार मंडलों के प्रबंधकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्वयं मास्क का प्रयोग करेंगे और बाजारों /दुकानों पर आने वाले व्यक्तियों से भी मास्क का उपयोग करवाया जाना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।

4. लोगों से अपील की जाती है कि वे खरीददारी के दौरान एतिहात बरतें तथा अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बनें।

<u>त्यौहार मनाये जाने के सम्बन्ध में</u>

1. त्यौहारों के अवसर पर लोगों को यह सलाह दी जाती है कि सार्वजनिक/ सामूहिक आयोजनों में जाने से परहेज करें और वे अपने प्रियजनों के साथ घर पर ही त्यौहार मनाएं।

2. त्यौहारों के समय में बाजारों/ धार्मिक स्थलों एवं अन्य सार्वजानिक स्थानों पर भीड़-भाड़ का माहौल बना रहता हैं। अतः ऐसे सभी स्थानों पर भीड़ नियंत्रित करने की दृष्टि से लोगों को यह सलाह दी जाती है कि जहाँ तक संभव हो सके ऐसे सभी स्थानों पर जाने का परहेज करें।

3. लोगों को सलाह दी जाती है कि त्यौहार मनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी के लिए घर से कम से कम सदस्य, जो कोविड-19 टीके की दोनों खुराक ले चुके हों वही लोग बाजारों/दुकानों में फेस मास्क पहनकर जाएँ।

अतः सभी स्थानीय निवासियों, यात्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों द्वारा उपरोक्त निर्गत किये गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक, ऊना (हि.प्र.) को इस आशय के साथ कि मास्क सम्बंधित निगरानी को बढ़ाया जाए और नियमों की अवहेलना पर चालान दैनिक रूप से किए जाएँ।
2. समस्त उप मंडलाधिकारी (ना.), जिला ऊना (हि.प्र.) को आयोजनों/ सार्वजानिक स्थानों के नियमित निरिक्षण हेतु।
3. समस्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार , जिला ऊना (हि.प्र.) को आयोजनों/ सार्वजानिक स्थानों के नियमित निरिक्षण हेतु।
4. समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
5. समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, ऊना, मैहतपुर, संतोखगढ़, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
6. समस्त सचिव, नगर पंचायत, गगरेट, दौलतपुर चौंक, अम्ब, टाहलीवाल, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
7. जिला जनसंपर्क अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को व्यापक प्रचार हेतु ।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।